<u>कोर्स रिपोर्ट</u>

'आर्ट ऑफ सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर सीनियर ऑफिसर्स'

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 17.04.2017 से 21.04.2017 तक 'आर्ट ऑफ सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर सीनियर ऑफिसर्स' विषय पर पाँच दिवसीय कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 03 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं 13 उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अर्थात् कुल 16 अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान श्री जी.एल. शर्मा, महानिरीक्षक पुलिस (सेवानिवृत्त) ने प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में प्रतिभागियों को पर्यवेक्षण का महत्व समझाते हुए गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए तथा अधीनस्थों के मार्ग दर्शन के लिए पर्यवेक्षण की क्षमता में विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया। श्री रमेश चन्द्र शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सेवानिवृत्त) ने निरोधात्मक कार्यवाही तथा जमानतीय अपराधों के अनुसंधान के दौरान ध्यान में रखी जाने वाली बातों के बारे में बताया। श्री आर.एस. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर ने अनुसंधान में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की सहायता लेने तथा विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने डिजिटल साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के महत्व को समझाते हुए इन्हें प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्रदान की।

श्री भगवान लाल सोनी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने प्रतिभागियों को अनुसंधान में प्लान ऑफ इन्वेटिगेशन का महत्व समझाते हुए बताया कि अनुसंधान की कार्य योजना प्रथम केस डायरी में ही उल्लेखित की जानी चाहिए। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्लान ऑफ इन्वेटिगेशन के अनुसार अनुसंधान करने से अनुसंधान में कमियॉ रहने की सम्भावना लगभग नगण्य रह जाती है। श्री एम.एम. अत्रे ने

भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री आर.एस. बत्रा, आर.ए.एस.(सेवानिवृत्त) द्वारा जमीन संबंधी विवादों के प्रकरणों के पर्यवेक्षण के संबंध में व्याख्यान दिया।

श्री डी.सी. जैन, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ने प्रतिभागियों को अधीनस्थों पर नियन्त्रण के लिए आचरण नियमों के तहत कार्यवाही करने की प्रक्रिया समझाते हुए उनके द्वारा हाल ही में जारी सर्कुलर में उल्लेखित प्रमुख बातों के बारे में बताया। उन्होंने अनुसंधान में गुणवता एवं पारदर्शिता के महत्व को समझाते हुए जानबूझ कर गलत अनुसंधान करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध आचरण नियमों के तहत कार्यवाही करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री संजीव भटनागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने केस डायरी लिखने, सुपरवाईजरी नोट तैयार करने तथा आरोप पत्र तैयार करने के दौरान ध्यान रखी जाने वाली प्रमुख बातों के बारे में बताया। श्री उमेश शर्मा, जिला न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) ने अनुसंधान में रहने वाली प्रमुख गलतियों के बारे में बताते हुए न्यायालय में अभियुक्तों के दोष मुक्त होने के कारण बताए। श्री हेमन्त नाहटा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से संबंधित विधिक प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए नवीनतम निर्णयों एवं संशोधनों के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री मिलिंद अग्रवाल, साइबर विशेषज्ञ द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से किये जाने वाले आर्थिक अपराधों, बैंकिग एवं वित्तीय अपराधों के अनुसंधान के बारे में बताया गया। श्री शेखर सिंह ने ऑन लाइन बैंकिग अपराधों के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने तथा अनुसंधान के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। श्री मुकेश यादव, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने सीडीआर विश्लेषण, मोबाइल फोन व इन्टरनेट के माध्यम से आर्थिक अपराधों का पता लगाने, साक्ष्य एकत्रित करने एवं इस प्रकार के अपराधों में अनुसंधान के दौरान ध्यान देने योग्य बातों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर ने बच्चों एवं महिलाओं संबंधी अपराधों के अनुसंधान पर व्याख्यान दिया। श्री आर.के.पूनिया, वरिष्ठ मेडिकल ज्यूरिष्ट ने मेडिको-लीगल परीक्षण के बारे में तथा श्री योगेन्द्र जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सेवानिवृत्त) ने न्यायिक प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण के समापन सत्र में श्री राजीव दासोत, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी पधारे जिन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को पर्यवेक्षण का महत्व समझाते हुए अधीनस्थों पर नियन्त्रण के लिए पर्यवेक्षण विधाओं की जानकारी रखने पर बल दिया। उन्होंने प्रतिभायिगों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किये।